<u>मद **4 (1) (**ख**) - (vii)**</u>

किसी ऐसी व्यवस्था का विवरण जो इसकी नीति तैयार करने अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श करने अथवा उनके द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए विद्यमान है

7.कृपया किसी ऐसी व्यवस्था का ब्यौरा दें जो इसकी नीति तैयार करने अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श करने अथवा उनके द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए विद्यमान है।

7.1 पांच वर्ष में सभी आवासों तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करने के राष्ट्रीय न्यूनतम सांझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कारपोरेशन इस समय भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना - जो ग्रामीण बिजली की बुनियादी सुविधाएं और आवास विद्युतीकरण की स्कीम है, को कार्यान्वित कर रहा है। योजना के कार्यान्वयन के लिए बिजली अधिनियम 2003 की धारा 166 (V) के अनुसार, प्रत्येक जिले में एक समिति होगी, जिसका गठन उपयुक्त सरकार द्वारा निम्नलिखित के लिए किया जाएगाः-

(क) प्रत्येक जिले में विद्युतीकरण के विस्तार का समन्वय और समीक्षा करना;
(ख) विद्युत आपूर्ति की गुणता और उपभोक्ता की संतुष्टि की समीक्षा करना;
(ग) ऊर्जा की दक्षता और इसके संरक्षण को बढ़ावा देना।

7.2 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 44/19/2004-डी (आरई), दिनांक 18 मार्च, 2005 के खंड - 8 के अनुसार ग्रामीण वितरण की प्रबंध व्यवस्था फ्रैंचाइजियों के माध्यम से की जाएगी, जो गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), उपभोक्ता संगठन, सहकारिताएं या व्यक्तिगत उद्यमकर्ता और पंचायत संस्थाएं हो सकती हैं।

7.3 किसी गांव को विद्युतीकृत घो।षत करने के लिए, विद्युत मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/1/2001-डी(आरई), दिनांक 5 फरवरी, 2004 के अनुसार संबंधित ग्राम पंचायत से प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है।